न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 115—अध्यक्ष/92 विरूद्ध आदेश, दिनाक 9—6—92 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 285/84—85.

1 बल्देव पुत्र जगन्नाथ
2 रामस्वरूप पुत्र बल्देव
3 द्वारिका प्रसाद पुत्र बल्देव अल्पव्यसक
द्वारा संरक्षक बलदेव पुत्र जगन्नाथ
4 रामप्रसाद पुत्र बल्देव
समस्त निवासीगण ग्राम मुहाली, तहसील सीहोर
जिला सीहोर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामबक्श आत्मज सेवाराम (मृत) वारिसानः—
1 दुरीबाई विधवा रामबक्श आयु 60 वर्ष
2 चतुरनारायण पुत्र रामबक्श आयु 40 वर्ष
3 नौनितराम पुत्र रामबक्श आयु 35 वर्ष
4 राधेलाल पुत्र रामबक्श आयु 25 वर्ष
5 भूरीबाई पुत्री रामबक्श पत्नी लखनलाल
निवासी लुमड़ा जिला भोपाल तहसील हुजूर
कमांक 1 से 4 निवासी मुगांवली तहसील जिला सीहोर

.....अनावेदकगण

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10- 12 - 2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 115–पीबीआर/92 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल के अपील प्रकरण कमांक 285/84–85 में पारित आदेश दिनांक 9–6–1992 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । प्रकरण का संबंध ग्राम मुंगावली, तहसील सीहोर की सर्वे कमांक 26, 27, 28/1/1 की भूमि से है । ग्राम मुंगावली की संशोधन पंजी कमांक 14 पर वर्ष 1981 में इस भूमि के संबंध में संशोधन अंकित किया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 के आदेश दिनांक 6–12–67 एव नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–7–81 के अनुसार खाते की भूमि में मूल गैर निगराकार रामबक्श को 1/8 स्वत्व अंकित करने के संबंध में था । वाद भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार ने दिनांक 30–7–81 को आदेश पारित कर रामस्वरूप एवं द्वारिका प्रसाद पिता बलदेव के पक्ष में 44 पैसा, राम प्रसाद पिता बलदेव के स्वत्व में 44 पैसा एवं अपीलार्थी रामबक्श के पक्ष में 12 पैसा स्वत्व अंकित करने के आदेश दिये थे । आदेश दिनांक 30–7–81 से असंतुष्ट होकर रामबक्श ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर में अपील प्रस्तुत की । अपील प्रकरण कमांक 80/81–82 में दिनांक 29–3–85 को पारित आदेश द्वारा अपील अमान्य की गई । द्वितीय अपील गैर निगराकार रामबक्श द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष की गई जिसमें अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी दोनों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया है । जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में संस्थित हुई ।

3/ उभयपक्ष अधिवक्ता को तर्क हेतु अवसर दिया गया । उनके द्वारा अभिलेख के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया । मेरे द्वारा अभिलेख के परिशीलन से यह पाया जाता है कि आक्षेपित आदेश से विद्वान अपर आयुक्त ने प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उभयपक्ष को सुनने के बाद नामांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय पारित करने के निर्देश दिए थे । इस निर्देश के फलस्वरूप उभयपक्ष को तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध था जहॉ उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में सुनवाई उपरान्त पक्षकारों के हित पहचानते हुए अंतिम आदेश पारित

किया जाना था । अतः ऐसे आदेश से किसी पक्षकार के वैध हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए हों । यह मान्य नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अपर आयुक्त के आदेश में मैं कोई अवैधानिकता नहीं पाता हूँ, एवं उसे स्थिर रखते हुए यह निगरानी खारिज करता हूँ ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हों ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर